झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
सप्तम् (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 17.12.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	झारखण्ड में जनवितरण प्रणाली दुकान में खाद्य सामग्री का वितरण 2016 से अबतक ई-पॉश मशीन के माध्यम से होता रहा है और ई-पॉश मशीन भाड़े पर सरकार ने ली है और अब तक भाड़े के तौर पर 5 वर्षों में 250 करोड़ रू0 का भुगतान सरकार कम्पनी को कर चुकी है। सरकार और कम्पनी के बीच हुई एकरारनामा के अनुसार पुरानी मशीनें जो लगभग 50 प्रतिशत खराब हो चुकी है केवल Maintenance के नाम पर उसी कम्पनी को 22 करोड़ रू0 प्रति वर्ष देगी जबकि सभी मशीनों की खरीददारी में सरकार को मात्र 40 करोड़ से भी कम की राशि खर्च करनी पड़ेगी, प्रतिवर्ष Maintenance का काम भी 10 करोड़ से कम की राशि में संभव है। सरकार इस लूट पर लगाम लगाये इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण
02-	श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्री जयप्रकाश भाईपटेल स0वि0स0	हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो एवं गिरिडीह जिलों में 60 अंचल के 7070 गाँवों के लाखों रैयतों को बीते 26 वर्षों से खाता-खतीयान नहीं मिल रहा है। साथ ही प्रमंडलीय बंदोबस्त-	राजस्व निबंधन

01.	02.	03.	04.
		मुख्यालय, हजारीबाग कार्यालय से सभी छः जिलों में सर्वे कार्य 1995 में शुरू हुई थी, परन्तु उक्त क्षेत्र के रैयतो एवं किसानों को खाता-खतियान अबतक उपलब्ध नहीं कराई गई है जबकि सर्वे कार्य पूरा करने हेतु सरकार स्तर पर किश्तवार, खानापूर्ति, रिसेस, तस्दीक, धारा-83, धारा-87 एवं धारा-89 जैसे- 07 स्टेज बनायें गये थे। परन्तु उक्त स्तर पर अब भी सर्वे कार्य लम्बित है। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग के बइकागाँव, केरेडारी, कटकमसांडी, कटकमदाग, विष्णुगढ़ और बोकारो के चन्द्रपुरा, गोमियों एवं जरीडीह में वर्ष-2016 में कैम्प गठन कर अबतक रिसेस कार्य नहीं किया गया, वही रिसेस कार्य के पहले हजारीबाग के बरही, डाडी, चुरचु और रामगढ़ के गोला एवं पेटरवार का नक्सा छपने का सम्बंधित अमीनों द्वारा काफी विरोध करने के कारण उक्त कार्य प्रभावित हुई है जिसका खामियाजा उक्त जिलों के रैयतो को झेलनी पड़ रही है। सरकार जनहित में उक्त कार्य को एक समय-सीमा निर्धारित कर पूरा कराये ताकि राज्य में वर्षों से चल रही अवैध तरीके से भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगे और रैयतों की भूमि सुरक्षित रहें। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा।	
03-	श्री संजीव सरदार स०वि०स०	पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखण्ड अन्तर्गत हल्दीपोखर में +2 पंचीकृत विद्या निकेतन उच्च विद्यालय का निर्माण कार्य वर्ष- 2008 में प्रारम्भ किया गया था जो वर्ष- 2010 में ही पूर्ण हो चुका है, परन्तु निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद अभी तक विभाग द्वारा हस्तगत नहीं कराया गया है जिससे विद्यार्थीगण स्कूल भवन के अभाव में शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है साथ ही निर्माण कार्य के 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद हस्तगत नहीं होने के कारण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

कृ०पृ०उ०-

01.	02.	03.	04.
		रख-रखाव के अभाव में विद्यालय भवन पुनः जर्जरावस्था में आ गया है। अतः सदन के माध्यम से उक्त विद्यालय को हस्तगत मरम्मति के साथ चाहरदिवारी निर्माण एवं दोषी पदाधिकारी/कर्मचारियों पर कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04-	श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0	झारखण्ड में पंचायत सचिवों की नियुक्ति परीक्षा 2017 में ली गयी थी। इसकी प्रक्रिया सितम्बर-2019 में पूरी कर ली गयी थी। उच्च न्यायालय द्वारा भी अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया जा चुका है। लेकिन आज चार साल बाद भी झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से नियुक्ति नहीं की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने कही है कि वर्ष 2021 का साल नियुक्ति का वर्ष होगा। लेकिन, नई नियुक्तियाँ तो दूर लम्बित नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है। पंचायत सचिवों की लंबित नियुक्ति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अतः पंचायत सचिव की नियुक्ति तत्काल करने हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना हूँ।	पंचायती राज
05-	श्री रामचन्द्र सिंह स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में विगत जनवरी-2016 से सप्तम् वेतनमान लागू किया गया है और राज्य सरकार द्वारा इसका लाभ वित्तीय वर्ष 2018 से दिया जा रहा है। जनवरी-2016 अथवा इसके बाद सेवानिवृत हुए सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के पेंशन में सप्तम् वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। परन्तु सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को इससे वंचित कर दिया गया है। इससे अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद काफी कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है। इस विसंगति को दूर कर जनवरी, 2016 या उसके बाद सेवानिवृत हुए सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक-	वित्त

01.	02.	03.	04.
		शिक्षिकाओं को सातवें वेतनमान का लाभ दिलाने की कार्रवाई करने हेतु मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 17 दिसम्बर, 2021 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-53/2021-2508/वि० स०, राँची, दिनांक- 16/12/2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/ सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग एवं सचिव, वित्त विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/21
(विष्णु पासवान)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- प्र०ध्या०-53/2021-2508/वि० स०, राँची, दिनांक- 16/12/2021

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/21
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

16.12.21